<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>22.09.2026</u>

<u>प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक अधिकारियों का 36वां त्रैमासिक सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित</u>

1. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आंचलिक अधिकारियों का 36वां त्रैमासिक सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) दिनांक 14-15 सितंबर, 2026 को भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरु (आईआईएम-बी), कर्नाटक में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सम्मेलन से पूर्व, दिनांक 13 सितंबर, 2026 को भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु (आईआईएमबी) के समन्वय से तैयार एक विशेष प्रबंधन एवं नेतृत्व कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, रणनीति एवं प्रबंधन से संबंधित शैक्षणिक दृष्टिकोणों और व्यावहारिक अंतर्दृष्टियों का समावेश किया गया। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तथा इसमें सभी विशेष निदेशकों, अपर निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप एवं सहायक विधिक सलाहकारों सहित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों (फील्ड कार्यालयों) के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2. कार्यशाला का शुभारंभ आईआईएम बेंगलुरु (आईआईएमबी) परिसर में दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण के साथ हुआ। विशेष निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) ने शैक्षणिक गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। अपने उद्घाटन संबोधन में निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने आईआईएम बेंगलुरु के प्रति निदेशालय की कृतज्ञता व्यक्त की तथा यह घोषणा की कि भारत सरकार ने निदेशालय के लंबे समय से लंबित संवर्ग पुनर्गठन को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके फलस्वरूप निदेशालय की स्वीकृत पदसंख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने संगठन के भीतर संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आईआईएम बेंगलुरु के साथ दीर्घकालिक शैक्षणिक सहयोग के महत्व पर भी बल दिया। डीन (प्रशासन), आईआईएम बेंगलुरु ने प्रतिभागियों को खुले दृष्टिकोण के साथ सत्रों में भाग लेने तथा संकाय सदस्यों के साथ परस्पर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया।
3. कार्यशाला के विभिन्न सत्र आईआईएम बेंगलुरु के संकाय सदस्यों तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए। इन सत्रों में भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संदर्भ में वित्तीय अन्वेषण का भविष्य, आर्थिक अपराधों के अन्वेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डेटा विश्लेषण के उपयोग तथा डीपफेक और एआई-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों पर विचार-विमर्श किया गया। नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास से संबद्ध फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के एक विशेष एजेंट द्वारा साइबर खतरों एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र लिया गया। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक समूह की स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव (StAR) द्वारा वर्चुअल माध्यम से परिसंपत्तियों का पता लगाने एवं उनकी वसूली पर एक सत्र आयोजित किया गया। कार्यशाला में निदेशालय के लिए नेतृत्व एवं प्रबंधन संबंधी तकनीकों पर भी विशेष सत्र आयोजित किए गए।
4. विभिन्न सत्रों में बार-बार उभरकर सामने आया प्रमुख विचार यह था कि अन्वेषण को मामला-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर समग्र पारितंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित किया जाए; प्रौद्योगिकी एवं डेटा विश्लेषण की क्षमताओं का प्रभावी उपयोग किया जाए, साथ ही उनसे जुड़े जोखिमों के प्रति सतर्कता बनाए रखी जाए; तथा निदेशालय की संस्थागत क्षमता, नेतृत्व और उसके

कार्यों के सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। दिन का समापन आईआईएम बेंगलुरु के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ।

5. 36वें क्यूसीजेडओ का उद्घाटन दिवस संयोगवश दिनांक 14 सितंबर, 2026, हिंदी दिवस के अवसर के साथ भी पड़ा। इस अवसर को पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह तथा पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी पत्रिका 'प्रवर्तन प्रवाह' के विमोचन के माध्यम से चिह्नित किया गया, जिसमें क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेख सम्मिलित थे। सम्मेलन में राजकीय कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में अधिकारियों के योगदान की भी सराहना की गई तथा राजभाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक महत्व को रेखांकित किया गया।

6. अपने मुख्य उद्घाटन संबोधन में निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने निदेशालय की परिचालन, संरचनात्मक एवं नैतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि यह सम्मेलन संवर्ग पुनर्गठन की स्वीकृति के तुरंत पश्चात आयोजित हो रहा है और सभी आंचलिक प्रमुखों को निदेश दिया कि वे अपने-अपने आंचलों में सहायक प्रवर्तन अधिकारी स्तर तक औपचारिक क्रमिक ब्रीफिंग आयोजित करें तथा उसकी कार्यवाही का अभिलेखन सुनिश्चित करें। उन्होंने अत्यधिक विचार-विमर्श के कारण तलाशी एवं प्रवर्तन कार्रवाई में होने वाली देरी से बचते हुए त्वरित एवं निर्णायक निर्णय लेने पर बल दिया। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उन्होंने आगाह किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऑफलाइन उपयोग में भी डेटा लीक का जोखिम बना रहता है और गोपनीय मामलों से संबंधित सामग्री को अत्यंत सावधानी से संभाला जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच आसूचना-साझाकरण की संस्कृति में 'आवश्यकतानुसार जानकारी तक सीमित पहुंच' (नीड टू नो) से 'सूचना साझा करने के दायित्व' (ड्यूटी टू शेयर) की ओर हो रहे बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने आगे निदेश दिया कि बैंक धोखाधड़ी, बिल्डर-खरीदार धोखाधड़ी, दिवाला-संबंधी धोखाधड़ी तथा साइबर अपराध के मामलों में निदेशालय की उपलब्धियों को नियमित प्रेस विज्ञप्तियों एवं मीडिया संवाद के माध्यम से प्रभावी रूप से सामने लाया जाए। उन्होंने संगठन के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता की अडिग नीति को भी पुनः दोहराया। निदेशक ने निदेशालय के दैनिक कार्य-संचालन में सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों की उपयोगिता पर भी बल दिया तथा प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से अपेक्षा की कि वे आपराधिक अन्वेषण, विधिक सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं तथा प्रबंधन सिद्धांतों से संबंधित नवीनतम विकास से स्वयं को निरंतर अद्यतन रखें। इसके लिए सोशल मीडिया एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों का भी समुचित उपयोग किया जाए।

7. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने आंचलों के लिए निम्नलिखित प्रमुख परिचालन प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की:
   - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) तथा पीएमएलए के अंतर्गत धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाना, जिसमें मिलीभगत से किए गए ऐसे समाधान मामलों की पुनः जांच भी शामिल है, जिनमें असंगत रूप से बड़े 'हेयरकट' (ऋण में कटौती) के माध्यम से प्रवर्तकों द्वारा परिसंपत्तियों का पुनः अधिग्रहण किया गया हो;
   - राज्य पुलिस तथा अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ अधिक निकट समन्वय, जिसमें संगठित आपराधिक तत्वों के विरुद्ध पीएमएलए के कुर्की एवं जमानत संबंधी प्रावधानों का सहारा लेना भी शामिल है;
   - विचारण की प्रक्रिया में तेजी लाना, जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में कम-से-कम 10 हाई-प्रोफाइल मामलों की पहचान की जाए, ताकि छह से आठ माह के भीतर विचारण के निष्कर्ष एवं दोषसिद्धि की दिशा में कार्रवाई की जा सके;
   - कुर्क एवं अधिहृत परिसंपत्तियों की वास्तविक एवं विधिसम्मत पीड़ितों को वापसी के लिए सक्रिय एवं दृढ़तापूर्वक प्रयास करना; तथा
   - सभी पुष्ट कुर्क संपत्तियों का छह माह के भीतर सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांककों से अनिवार्य मूल्यांकन, जियो-टैगिंग तथा उनका रचनात्मक कब्जा (कंस्ट्रक्टिव पजेशन) लेना सुनिश्चित करना।

8. प्रथम कार्य सत्र में स्वीकृत संवर्ग पुनर्गठन के कार्यान्वयन तथा उससे संबंधित अवसंरचना रोडमैप पर विचार-विमर्श किया गया। संवर्ग पुनर्गठन के फलस्वरूप निदेशालय की स्वीकृत पदसंख्या 2,029 से बढ़कर 3,256 हो जाएगी। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय संरचना का विस्तार 50 पीएमएलए आंचलों के साथ-साथ दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में 5 समर्पित फेमा आंचलों तक किया जाएगा तथा कार्यात्मक इकाइयों की संख्या 131 से बढ़ाकर 241 की जाएगी। इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2027 से प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य अन्वेषण की वर्तमान चार से पांच वर्ष की अवधि को घटाकर लगभग डेढ़ वर्ष करना है। अवसंरचना के संबंध में, 'प्रोजेक्ट प्रवर्तन भवन' के अंतर्गत निदेशालय की उपस्थिति वाले सभी 39 शहरों में 31 मार्च, 2029 तक स्वामित्व वाले कार्यालय परिसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सत्र में विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की प्रगति पर भी विचार किया गया।

9. द्वितीय सत्र में अन्वेषण एवं आसूचना के लिए उपलब्ध विभिन्न साधनों और तकनीकों की समीक्षा की गई। नेटग्रिड के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के उपयोग की प्रवृत्तियों का आकलन किया गया तथा सभी आंचलों को इनके आधिकारिक उपयोग पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निदेश दिया गया। सत्र में अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), कॉरपोरेट संबंधी अभिलेखों एवं आप्रवासन डेटाबेस तक पहुंच तथा वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित लेन-देन अभिलेख प्राप्त करने के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्मों पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंडिया) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर), नकद लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर), सीमा-पार वायर अंतरण रिपोर्ट तथा परिचालन एवं सामरिक विश्लेषण सहित विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों की समीक्षा की गई। एफआईयू-इंडिया के साथ वास्तविक समय में समन्वय के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था विकसित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। उन्नत फोरेंसिक उपकरणों एवं फील्ड एक्विजिशन किटों की खरीद के माध्यम से निदेशालय की साइबर फोरेंसिक क्षमता के संवर्धन तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञों की तैनाती के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ निदेशालय की मौजूदा व्यवस्था के विस्तार की भी समीक्षा की गई।

10. तृतीय सत्र में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के परस्पर संबंध पर विचार-विमर्श किया गया। सत्र में एक ओर संहिता की धारा 14 के अंतर्गत अधिस्थगन तथा धारा 32ए के अंतर्गत प्रदत्त प्रतिरक्षा और दूसरी ओर पीएमएलए के अंतर्गत कुर्की की शक्तियों के बीच उत्पन्न विधिक प्रश्नों का विश्लेषण किया गया। साथ ही, बार-बार सामने आने वाली विभिन्न अनियमितताओं की पहचान की गई, जिनमें धारा 29ए के प्रावधानों से बचने के प्रयास, संबद्ध पक्षों के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करना, ऋणदाताओं की समिति में हेरफेर, परिसंपत्तियों का अवमूल्यन अथवा उन्हें अनुचित रूप से निकाल लेना (एसेट स्ट्रिपिंग) तथा ऋण में कृत्रिम रूप से अत्यधिक कटौती के माध्यम से प्रवर्तकों द्वारा परिसंपत्तियों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करना शामिल है। सत्र में विभिन्न उदाहरणात्मक मामलों पर भी चर्चा की गई। इनमें एक ऐसा मामला भी शामिल था, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी आदेश को वापस लिया गया। सभी आंचलों को निदेश दिया गया कि वे ऐसे मामलों में संदिग्ध संकेतों की पहचान करें, समाधान व्यावसायिकों से अधिमान्य, कम मूल्यांकित, कपटपूर्ण तथा उद्दापनी ऋण संव्यवहारों से संबंधित आवेदन से जुड़े आवेदनों की प्रतियां प्राप्त करें, अधिकरण के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर करें तथा ऐसे प्रकरणों के मुख्य षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध पीएमएलए के अंतर्गत स्वतंत्र जांच प्रारंभ करें।

11. चतुर्थ सत्र में अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय एवं सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया। सत्र में राज्य पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान पर बल दिया गया। एमएल-I एवं एमएल-II रिपोर्टिंग को हस्तचालित विवरणियों के स्थान पर सीसीटीएनएस एवं नेटग्रिड से एकीकृत स्वचालित ऑनलाइन पोर्टल पर स्थानांतरित करने तथा निर्धारित सीमा के आधार पर स्वतः सतर्कता संकेत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया। पीएमएलए की धारा 66(2) के अंतर्गत निदेशालय द्वारा भेजे गए संदर्भों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने में विद्यमान अंतराल पर भी चर्चा की गई। ऐसे मामलों में संयुक्त विशेष जांच दलों के गठन तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य विशेष विधियों के अंतर्गत पुलिस को उपलब्ध कुर्की संबंधी प्रावधानों का प्रभावी उपयोग किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

12. पंचम सत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रत्यर्पण तथा भगोड़े आरोपियों से संबंधित कार्रवाई की समीक्षा की गई। लेटर रोगेटरी (एलआर) तथा पारस्परिक विधिक सहायता अनुरोधों के प्रारूपण की गुणवत्ता एवं संबंधित संधियों के प्रावधानों के अनुपालन पर विशेष बल दिया गया। पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित ऐसे अनुरोधों की समीक्षा कर, जो अब अप्रासंगिक अथवा अनावश्यक हो चुके हैं, उन्हें वापस लेने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की घोषणा की गई। भगोड़े आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया को पुनः रेखांकित किया गया, जिसमें आव्रजन ब्यूरो के माध्यम से यात्रा संबंधी जांच, इंटरपोल नोटिस जारी कराना, पासपोर्ट रद्द कराना, न्यायालय से उद्घोषणा प्राप्त करना, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, पीएमएलए के अंतर्गत दोषसिद्धि के बिना अधिहरण, तथा अंततः औपचारिक प्रत्यर्पण अथवा संबंधित देश में अभियोजन की कार्रवाई शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत लागू विशिष्टता के सिद्धांत का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

13. क्रिप्टो पारितंत्र में उभरती प्रवृत्तियों पर आयोजित एक विशेष सत्र में विकेंद्रीकृत वित्त प्रोटोकॉल तथा वास्तविक परिसंपत्तियों के मध्यस्थ-विहीन टोकनीकरण के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला गया। सत्र में ऐसे हवाला नेटवर्कों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गई, जिनके माध्यम से रुपये में उपलब्ध धनराशि को घरेलू दलालों के जरिए डॉलर से संबद्ध स्थिर-मूल्य क्रिप्टो टोकनों (स्टेबलकॉइन) में परिवर्तित कर मूल्य का निर्बाध सीमा-पार अंतरण किया जाता है। लेन-देन के वास्तविक स्वरूप एवं धन के प्रवाह को छिपाने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों, जिनमें चेन-हॉपिंग, क्रॉस-चेन ब्रिज, मिक्सर एवं टम्बलर,

प्राइवेसी कॉइन, नेस्टेड अकाउंट तथा नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) में वॉश ट्रेडिंग शामिल हैं, की कार्यप्रणाली को भी विस्तार से समझाया गया। साथ ही, ऐसी गतिविधियों का पता लगाने, धन-प्रवाह का अनुसरण करने तथा संबंधित व्यक्तियों एवं परिसंपत्तियों की पहचान के लिए प्रवर्तन निदेशालय के पास उपलब्ध अन्वेषणात्मक उपायों एवं तकनीकों पर भी चर्चा की गई।

14. दिनांक 15 सितंबर, 2026 को सम्मेलन के समापन दिवस पर विशेष निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) के नेतृत्व में पीएमएलए के अंतर्गत विचारण में तेजी लाने तथा दोषसिद्धि सुनिश्चित करने पर एक विस्तृत सत्र आयोजित किया गया। सत्र में अभियोजन शिकायत दाखिल किए जाने से लेकर निर्णय एवं दंडादेश तक पीएमएलए के अंतर्गत विचारण की संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया का क्रमवार विश्लेषण किया गया तथा अन्वेषण एवं अभियोजन संबंधी कार्यप्रणाली को नए आपराधिक कानूनों अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांतों के अनुरूप किए जाने पर बल दिया गया। सभी आंचलों को निदेश दिया गया कि वे विचारण-पूर्व स्तर पर अनुशासन को और सुदृढ़ करें तथा अवलंबित दस्तावेजों एवं साक्षियों की सुव्यवस्थित सूची तैयार करें। प्रत्येक अभियोजन शिकायत के साथ साक्ष्य कैलेंडर संलग्न किया जाए, समन एवं अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं की त्वरित इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रतिस्थापित तामील सुनिश्चित की जाए तथा ऐसे मामलों की मासिक समीक्षा की जाए, जिनमें छह माह से अधिक समय से संज्ञान लिया जाना लंबित हो। सत्र में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपनाई जाने वाली विलंबकारी रणनीतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की गई। साथ ही, न्यायिक प्रक्रिया से बचने वाले अथवा फरार अभियुक्तों के विरुद्ध चरणबद्ध बाध्यकारी कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की गई, जो अंततः आवश्यक परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण तक ले जा सकती है।

15. विचारण के संचालन के संबंध में सत्र में आरोप निर्धारण के लिए निर्धारित 60 दिन की समय-सीमा का पालन, स्थगनों की संख्या पर निर्धारित वैधानिक सीमा, निर्बाध प्रतिपरीक्षा तथा आधुनिक साक्ष्य व्यवस्था का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इसमें सरकारी साक्षियों के श्रव्य-दृश्य माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने तथा दस्तावेजों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने पर विशेष जोर दिया गया। 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को एक पृथक निगरानी रजिस्टर में दर्ज कर आंचल प्रमुख द्वारा उनकी मासिक समीक्षा किए जाने का निदेश दिया गया। पात्र मामलों में प्ली बार्गेनिंग तथा दोषसिद्धि के बिना अधिहरण की संभावनाओं पर भी विचार किए जाने पर बल दिया गया। सत्र में अनुसूचित अपराध की जांच करने वाले अभिकरण के साथ निकट समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। यह समन्वय अन्वेषण अधिकारी तथा लोक अभियोजक, दोनों स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना है, क्योंकि पीएमएलए के अंतर्गत विचारण का परिणाम अनुसूचित अपराध से संबंधित विचारण के निष्कर्ष एवं उसके परिणाम से संबद्ध होता है। यह भी निदेश दिया गया कि कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर पीएमएलए की धारा 44(1)(ग) के अंतर्गत मामला विशेष न्यायालय को सुपुर्द कराने हेतु आवेदन दायर किए जाएं। एक संरचित रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी अनुमोदित किया गया, जिसके अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय डायरी, विशेष निदेशक द्वारा पाक्षिक समीक्षा तथा विचारणाधीन मामलों की लंबितता की वास्तविक-समय डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मामले में स्थगन एवं विलंब-कारण निर्धारण रजिस्टर रखे जाने का भी निदेश दिया गया। निर्धारित लक्ष्यों में स्थगनों की संख्या में कमी, 90 प्रतिशत से अधिक समनों की तामील, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या में कमी तथा आरोप निर्धारण से निर्णय तक की प्रक्रिया में तेजी शामिल है।

16. इसके उपरांत सम्मेलन में अभियोजन प्रगति रिपोर्ट (पीपीआर) पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें देशभर में दायर अभियोजन शिकायतों से संबंधित क्षेत्रवार आंकड़ों की समीक्षा की गई तथा विभिन्न आंचलों में बार-बार सामने आ रही रिपोर्टिंग संबंधी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पीपीआर में विचारण की प्रगति की निगरानी हेतु मानकीकृत 12-चरणीय प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य किया गया है। इसमें अभियोजन शिकायत दाखिल किए जाने, संज्ञान-पूर्व सुनवाई, आदेशिका जारी किए जाने, आरोप तय किए जाने, उद्धृत, परीक्षित एवं शेष साक्षियों की संख्या पृथक-पृथक दर्ज करते हुए साक्षी-परीक्षण की प्रगति, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 सहपठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत अभियुक्त के कथन, अंतिम बहस तथा निर्णय की उद्घोषणा और दंडादेश को पृथक-पृथक दर्ज किए जाने तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। आंकड़ों के सत्यापन के लिए सहायक विधिक सलाहकारों एवं विधिक परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किए जाने की भी संस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त, फरार अपराधियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट, उद्घोषणा, संपत्ति की कुर्की तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के अंतर्गत उनकी अनुपस्थिति में विचारण की कार्रवाई का प्रभावी ढंग से अनुसरण करने; न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों को निरस्त कराने हेतु जवाबी शपथपत्र शीघ्र दाखिल करने; तथा पीपीआर को केवल आंकड़ा-संकलन तक सीमित न रखते हुए एक विश्लेषणात्मक एवं कार्रवाई-उन्मुख निगरानी साधन के रूप में विकसित करने की संस्तुति की गई। इसमें प्रत्येक मामले में विलंब के विशिष्ट कारणों तथा उसके अंतिम निस्तारण में तेजी लाने के लिए अपेक्षित ठोस आगामी कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख किया जाना है।

17. निदेशालय के मामला प्रबंधन डेटाबेस पर आयोजित एक सत्र में ईडीओटीएस पोर्टल पर आंचलिक कार्यालयों द्वारा दर्ज किए जा रहे आंकड़ों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता की समीक्षा की गई। सत्र में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विश्वसनीय आंकड़े प्रभावी नीतिगत निर्णय, जोखिम प्रबंधन तथा संस्थागत कार्य-निष्पादन के आकलन की आधारशिला हैं। इस अभ्यास में प्रत्येक आंचल की यह जिम्मेदारी रेखांकित की गई कि पोर्टल पर सभी प्रविष्टियां पूर्ण, शुद्ध एवं समसामयिक रूप से दर्ज की जाएं। साथ ही, मुख्यालय द्वारा इन प्रविष्टियों की नियमित निगरानी किए जाने तथा आवश्यकता के अनुसार आंचलों को अपेक्षित सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।
18. सम्मेलन के अंतिम सत्र में प्रत्याहरण से संबंधित विषय पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें धोखाधड़ी के पीड़ितों को उनकी संपत्तियों की वापसी सुनिश्चित कर न्याय की प्रक्रिया को पूर्ण करने संबंधी निदेशालय के पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की गई। अब तक 76 मामलों में 73,800 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का प्रत्याहरण किया जा चुका है। सत्र में पीएमएलए की धारा 8 के अंतर्गत अधिहरण एवं प्रत्याहरण की वैधानिक व्यवस्था का क्रमवार विश्लेषण किया गया, जिसमें विचारण लंबित रहने के दौरान भी वैध दावेदारों को संपत्तियों की वापसी का प्रावधान शामिल है। सत्र में आरोप निर्धारण से पूर्व के चरण में प्रत्याहरण, प्रत्याहरण संबंधी आवेदनों पर हालिया न्यायिक निर्णयों के प्रभाव तथा ऐसे मामलों से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी चर्चा की गई, जिनमें बैंक, परिसमापक, न्यायालय द्वारा गठित समितियां अथवा राज्य प्राधिकारी स्वयं विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन नहीं करते। इसके अतिरिक्त, ऐसे पोंजी एवं अनियमित जमा मामलों, जिनमें कोई सक्षम प्राधिकारी कार्यरत नहीं है, तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत सफल समाधान आवेदकों को परिसंपत्तियों की वापसी से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया गया। आंचलों के लिए निर्धारित भावी कार्ययोजना के अंतर्गत यह तय किया गया कि आरोप निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना प्रत्याहरण के लिए आवेदन दायर किए जाएं अथवा ऐसे आवेदनों का समर्थन किया जाए। जहां निवेशकों की संख्या अधिक हो अथवा राज्य प्राधिकारियों द्वारा की गई कुर्की का अतिव्यापन हो, वहां स्वप्रेरणा से विशेष न्यायालयों के समक्ष आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही, राज्य के सक्षम प्राधिकारियों एवं न्यायिक समितियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए, अभियोजन शिकायत में ही प्रत्याहरण की प्रार्थना की जाए, तथा प्रत्याहरण से पूर्व प्रत्येक संपत्ति का अधिकृत मूल्यांकक से मूल्यांकन कराया जाए, ताकि किसी भी परिसंपत्ति का निस्तारण उसके उचित बाजार मूल्य से कम पर न हो।
19. 36वें आंचलिक अधिकारियों के त्रैमासिक सम्मेलन (QCZO) का समापन आगामी तिमाही के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना के साथ हुआ, जिसमें संवर्ग पुनर्गठन का समयबद्ध कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक क्षमताओं का अधिक व्यापक उपयोग, विचारण एवं दोषसिद्धि की प्रक्रिया में तेजी तथा आर्थिक अपराधों के पीड़ितों को संपत्तियों के प्रत्याहरण हेतु निरंतर प्रयास प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे सौंपे गए विधानों के दृढ़ एवं निष्पक्ष प्रवर्तन तथा भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

*****